न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 26 / 2022

हरीशचन्द कटारा निवासी ए–3 कृष्णापुरी प्रताप नगर आगरा–282002

बनाम

तहसीलदार उच्चैन ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 22.04.2022**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि हरीशचन्द कटारा निवासी ए–3 कृष्णापुरी प्रताप नगर आगरा–282002 ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 20.07.2021 तहसीलदार उच्चैन से सूचना चाही गयी थी। तहसीलदार उच्चैन द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 229 दिनांक 07.04.2022 के द्वारा तहसीलदार उच्चैन से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार उच्चैन से पत्र कमांक / आरटीआई / 22 / 476 दिनांक 22.04.22 जबाब प्राप्त हुआ जो संलग्न पत्रावली है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई विन्दुओं की सूचना तहसीलदार उच्चैन ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार उच्चैन से उक्त विन्दुओं की सूचना दिलायी जाने की प्रार्थना की है। इस सम्वन्ध में तहसीलदार उच्चैन के पत्र कमांक / आरटीआई / 2022 / 476 दिनांक 22.04.2022 से प्राप्त जबाव का अवलोकन किया गया। तहसीलदार उच्चैन ने अपने जबाब में अवगत कराया है कि अप्रार्थी को पत्रांक / आरटीआई / 2021 / 776 दिनांक 07.09.2021 से वांछित सूचना उपलब्ध करा दी गई है। तहसीलदार उच्चैन द्वारा अपने जबाब के साथ संलग्न अपीलार्थी को प्रेषित पत्र की प्रति भी भिजवाई गई है। इससे यह जाहिर होता है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करा दी गई है।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (तहसीलदार **उच्चैन** से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार **उच्चैन** को भी भेजी जावे।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर, भरतपुर